राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क-3/जाँच/2004 जयपुर, दिनांक : 12 OCT 2017.

<u>परिपत्र</u>

अखिल भारतीय सेवाऐं (आचरण) नियम, 1968 के नियम, 03 तथा 07 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, कर्त्तव्यनिष्ठा एवम् कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है एवम् प्रेस व सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध मनगढ़न्त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित/प्रसारित किए जाते हैं और उनके अनुचित व अशोभनीय आचरण से कार्यालय की छवि धूमिल होती है।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी अथवा संस्थान के विरूद्ध तथ्यहीन, निराधार, असत्यापित, गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अनर्गल/मनगढ़न्त टिप्पणियॉं कतई प्रचारित/प्रसारित नहीं करें, यदि उक्त निर्देशों का किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(भास्कर ए.सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ......।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ......।
8. समस्त जिला कलक्टर ......।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव